



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Faridabad Branch Office

Address SCO 21, Sector 12
Faridabad-121007

Phones 0129-2292175, 2292179

Fax: 0129-2291860

E-Mail: fdo@bis.org.in

web : http://www.bis.org.in

PRESS RELEASE

13 April 2016

BIS Raids Dharuhera firm manufacturing RCC Pipes without BIS licence

Based on the information received, officers of Bureau of Indian Standards (BIS), Faridabad Branch Office conducted a raid on 12 April 2016 with the help of Haryana Police from Dharuhera Police Station, District Rewari in the premises of the firm, M/s **Balaji Spun Pipes**, Seethal Road, Behind Power house, Dharuhera, Distt. Rewari, Haryana as directed by Head, Shri Sunil Kumar of the Faridabad Branch Office of BIS. The firm was found misusing ISI mark on the product **RCC Pipes** manufactured by them. The name of the owner of the firm is Shri KhushiRam. The above raid was conducted by a team consisting of Shri A.K. Popli, Scientist C & Team Leader, Shri Amarjit Singh Scientist C, Smt Neha Yadav Scientist C, Shri Sahil Bhatia Scientist B, Shri Harsh Aditya Singh Scientist B alongwith the officers of Haryana police from Dharuhera Police Station, District. Rewari, Haryana.

During the raid, large number of RCC Pipes marked with ISI mark were found manufacturing and available in the premises of the firm. These ISI marked RCC Pipes have been sealed by the team. The firm was found using ISI mark by stenciling and marking bearing ISI mark. It was observed that firm was manufacturing the RCC Pipes using ISI mark without a BIS licence which is illegal. The action is being initiated against the owner of the firm under BIS Act, 1986. The penalty for this type of offence is one year imprisonment or Rs. 50,000/- or both. The samples of invalid ISI marked RCC Pipes and stencils have been seized by the raid team.

It is informed by the BIS spokesperson that the action shall be taken against the manufacturers who are using ISI mark on the product without BIS licence. Other manufacturers who are selling and storing the products with duplicate ISI mark without BIS licence shall also be raided and there is a plan of such raids in the jurisdiction of Faridabad Branch Office of BIS. It is appealed to the general public to give information regarding any misuse of ISI mark noticed at the following address:

Shri A. K. Popli,
Scientist C & PGO,
Bureau of Indian Standards,
SCO 21, Sector 12,
Faridabad – 121007
Phone: 0129-2292173, 0129-2292175

Sunil Kumar
13/04/2016
(Sunil Kumar)
Scientist F & Head



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Faridabad Branch Office

प्रेस विज्ञप्ति

Address SCO 21, Sector 12
Faridabad-121007

Phones 0129-2292175, 2292179

Fax: 0129-2291860

E-Mail: fdo@bis.org.in

web : http://www.bis.org.in

दिनांक: 13 अप्रैल 2016

भारतीय मानक ब्यूरो का आर०सी०सी० पाइप पर नकली आई एस आई मुहर लगाकर बेचने वाली फर्म, रेवाड़ी, पर छापा

भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने भारतीय मानक ब्यूरो, फरीदाबाद के प्रमुख श्री सुनील कुमार के आदेशानुसार धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी में धारूहेड़ा पुलिस स्टेशन, रेवाड़ी हरियाणा पुलिस के सहयोग से आई०एस०आई० मुहर के दुरुपयोग के खिलाफ 12 अप्रैल 2016 को आर०सी०सी० पाइप बनाने वाली फर्म मै० बालाजी स्पन पाइप, सीथल रोड, पावर हाउस के पीछे, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के परिसर पर छापा मारा। यह छापा हरियाणा पुलिस के धारूहेड़ा पुलिस स्टेशन, जिला रेवाड़ी के अधिकारियों की मदद से मारा गया। फर्म के मालिक का नाम श्री खुशीराम है। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम का नेतृत्व श्री ए०के० पोपली, वैज्ञानिक सी ने किया। टीम में अन्य सदस्य श्री अमरजीत सिंह वैज्ञानिक सी, श्रीमती नेहा यादव, वैज्ञानिक सी, श्री साहिल भाटिया वैज्ञानिक बी, श्री हर्ष आदित्य सिंह वैज्ञानिक बी और हरियाणा पुलिस के अधिकारी शामिल थे।

छापा मारने के समय भारी मात्रा में आर०सी०सी० पाइप फर्म के परिसर में तैयार किये जा रहे थे और आई०एस०आई० मार्क लगे आर०सी०सी० पाइप छापे के समय उपलब्ध थे। छापे के दौरान आई०एस०आई० मार्क लगे आर०सी०सी० पाइप को सील कर दिया गया है। फर्म आर०सी०सी० पाइप पर नकली आई एस आई मुहर स्टैनसिल और मार्क लगाकर आई एस मार्क का दुरुपयोग कर रही थी जोंकि भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना अवैध है। इस फर्म व इसके मालिक के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। इस तरह के अपराध की सज़ा एक वर्ष तक का कारावास अथवा 50,000/- रुपये या दोनों जुर्माना है। छापा टीम ने फर्म द्वारा बनाई गई और आई० एस० आई० मुहर लगे आर०सी०सी० पाइप के नमूनों एवं स्टैनसिल को अपने कब्जे में ले लिया है।

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इस तरह से बिना लाइसेंस के आई एस आई मार्क लगा कर जो भी कोई उत्पाद बना या बेच रहा है, उस पर भी जल्दी ही उचित कार्यवाही की जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह भी सूचित किया कि निर्माताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों पर आई एस आई मुहर का गलत उपयोग करने, बेचने और उत्पादों के इकट्ठा करने वालों पर छापा मारा जाएगा और देश भर में छापे मारने की योजना है। अधिकारी ने आम जनता से आई एस आई मुहर के किसी भी दुरुपयोग की सूचना (जो उनके नोटिस में आती है) निम्नलिखित पते पर देने की अपील की।

श्री ए० के० पोपली,

वैज्ञानिक सी एवं पी०जी०ओ०,

भारतीय मानक ब्यूरो, एस०सी०ओ० 21, सैक्टर 12,

फरीदाबाद - 121007

दूरभाष: 0129-2292173, 0129-2292175

सुनील कुमार

(सुनील कुमार)

13.04.2016

वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख